Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC)

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

(झारखंड के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-1

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: JHPM14

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC)

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

(झारखंड के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–1

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी **updates** निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को **"like"** करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

JPSC DLP विषय सूची (Contents)

1.	**भारतीय संविधान : एक परिचय**	**5–50**
	1.1 भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार	5
	1.2 संविधान सभा तथा संविधान का निर्माण	12
	1.3 भारतीय संविधान की विशेषताएँ	19
	1.4 संविधानों का वर्गीकरण और भारतीय संविधान	24
	1.5 क्या भारतीय संविधान परिसंघात्मक, संघात्मक या एकात्मक है?	24
	1.6 भारतीय संविधान के स्रोत, भाग, अनुसूची एवं अनुच्छेद	28
	1.7 संविधान संशोधन	36
	1.8 भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना	46
2.	**भारतीय संविधान की प्रस्तावना**	**51–58**
	2.1 प्रस्तावना की विषय-वस्तु	51
	2.2 प्रस्तावना की उपयोगिता	52
3.	**संघ और उसका राज्यक्षेत्र**	**59–68**
	3.1 संघ व उसके राज्यक्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद	59
	3.2 राज्यों का पुनर्गठन	60
	3.3 संघ राज्यक्षेत्र	64
4.	**नागरिकता**	**69–75**
	4.1 नागरिकता से संबंधित संवैधानिक उपबंध	69
	4.2 नागरिकता अधिनियम, 1955	71
	4.3 विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे	72
5.	**मूल अधिकार**	**76–156**
	5.1 मूल अधिकार का अर्थ	76
	5.2 मूल अधिकार : अनुच्छेद-12-13	85
	5.3 समता का अधिकार : अनुच्छेद-14-18	91
	5.4 स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद-19-22	105
	5.5 शोषण के विरुद्ध अधिकार : अनुच्छेद- 23-24	127
	5.6 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद- 25-28	130
	5.7 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार : अनुच्छेद-29-30	139
	5.8 संपत्ति का अधिकार (अब विलोपित) तथा कुछ विधियों की व्यावृति या सुरक्षा	141
	5.9 संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद-32	142

6. राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व **157–164**

6.1 नीति-निदेशक तत्त्वों का इतिहास 157

6.2 राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों की विशेषताएँ 157

6.3 निदेशक तत्त्वों का महत्त्व 158

6.4 राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण 158

6.5 राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व के प्रावधान 159

6.6 मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्त्वों में अंतर 162

7. मूल कर्त्तव्य **165–167**

7.1 भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों का इतिहास 165

7.2 मूल कर्त्तव्यों की सूची 165

7.3 मूल कर्त्तव्यों को प्रभावी बनाने के उपाय 166

7.4 मूल कर्त्तव्यों की प्रवर्तनीयता 166

8. संघीय कार्यपालिका **168–200**

8.1 भारत का राष्ट्रपति 168

8.2 भारत का उपराष्ट्रपति 184

8.3 भारत का प्रधानमंत्री 186

8.4 केंद्रीय मंत्रिपरिषद 190

8.5 भारत का महान्यायवादी 193

9. संघीय विधायिका **201–250**

9.1 राज्य सभा 201

9.2 लोक सभा 205

9.3 संसद की सदस्यता 213

9.4 संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया 217

9.5 संसद में बजटीय प्रक्रिया 224

9.6 संसद के सत्र, सत्रावसान तथा लोक सभा का विघटन 228

9.7 संसद का कामकाज 231

9.8 संसदीय विशेषाधिकार 235

9.9 संसदीय समितियाँ 238

9.10 संसद: एक मूल्यांकन 245

10. संघीय न्यायपालिका **251–272**

10.1 सर्वोच्च न्यायालय 252

10.2 न्यायिक समीक्षा 264

10.3 न्यायिक सक्रियता 266

10.4 जनहित याचिका (पी.आई.एल.) 268

10.5 न्यायपालिका की अवमानना 269

अध्याय
1

भारतीय संविधान : एक परिचय
(Indian Constitution : An Introduction)

1.1 भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार
(Historical base of Indian Constitution)

रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773 *(Regulating Act, 1773)*

इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्त्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–

- बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
- कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई।
- कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774) की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजाह इंपे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद (4 सदस्य) को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
- अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का 'गवर्नर जनरल' कहा जाने लगा।
- इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे।
- इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार/रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया।
- कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (कंपनी की गवर्निंग बॉडी) का नियंत्रण बढ़ गया और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।
- व्यापार की सभी सूचनाएँ क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया।

एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 *(Act of Settlement, 1781)*

- रेग्यूलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिये भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई।
- इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था।
- इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है, जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो अर्थात् कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किये गए अपने कार्य के लिये सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए।
- न्यायालय को अपनी आज्ञाएँ तथा आदेश लागू करते समय, सरकार के कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति-रिवाज़ों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन को संवैधानिक रूप देने का प्रयास किया गया।
- चार्टर अधिनियम, 1833 के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया।
- भारत शासन अधिनियम, 1858 के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के हाथों से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया।
- सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे।
- भारत शासन अधिनियम, 1919 को 'मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड' सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है।
- कैबिनेट मिशन, 1946 में पैथिक लारेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ए.वी. अलेक्जेंडर सदस्य के रूप में शामिल थे।
- भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई।
- 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। उल्लेखनीय संविधान सभा की पहली बैठक थी, अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
- 26 नवंबर, 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ।
- 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ।
- भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा।
- 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का आशय है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है।
- भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है।
- भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 मुख्य अनुच्छेद-तथा 12 अनुसूचियाँ हैं।
- 58वाँ संविधान संशोधन, 1987 के द्वारा भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिन्दी पाठ को प्रकाशित करने के लिये अधिकृत किया गया।
- भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं।
- ऑस्टिन ने कहा था, "संविधान सभा कॉन्ग्रेस थी और कॉन्ग्रेस भारत था।"
- 101वाँ संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित है।
- सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद-और अनुसूची थे? **6th JPSC (Pre)**
   (a) 22 भाग, 395 अनुच्छेद-और 8 अनुसूची
   (b) 24 भाग, 450 अनुच्छेद-और 12 अनुसूची
   (c) 22 भाग, 390 अनुच्छेद-और 8 अनुसूची
   (d) 24 भाग, 425 अनुच्छेद-और 12 अनुसूची

2. भारत में राजनीतिक दलों से दल-बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? **6th JPSC (Pre)**
   (a) 52वें संशोधन (b) 54वें संशोधन
   (c) 56वें संशोधन (d) 58वें संशोधन

3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बाँटा गया है? **6th JPSC (Pre)**
   (a) 42वें संशोधन
   (b) 44वें संशोधन
   (c) 89वें संशोधन
   (d) 93वें संशोधन

4. भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? **5th JPSC (Pre)**
   (a) के.एम. मुंशी (b) एस.पी. मुखर्जी
   (c) बलदेव सिंह (d) बी.आर. अंबेडकर

5. संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिये किया गया, क्योंकि- **4th JPSC (Pre)**
   (a) यह एक शुभ दिन था
   (b) इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था
   (c) कॉन्ग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था
   (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।
6. निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? **2nd JPSC (Pre)**
   (a) संविधान लिखित और अनम्य है
   (b) न्यायपालिका स्वतंत्र है
   (c) अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना
   (d) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण
7. भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि- **2nd JPSC (Pre)**
   (a) संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता
   (b) मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है, न उनको छीना जा सकता है
   (c) संविधान में संशोधन केवल अनुच्छेद-368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है
   (d) संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है
8. संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? **1st JPSC (Pre)**
   (a) बी.आर. अंबेडकर (b) बी.एन. राव
   (c) डॉ. राजेंद्र प्रसाद (d) सरदार पटेल
9. संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद-एवं अनुसूचियाँ हैं? **1st JPSC (Pre)**
   (a) 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ
   (b) 8 अनुच्छेद, 389 अनुसूचियाँ
   (c) 416 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ
   (d) 398 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ
10. भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? **1st JPSC (Pre)**
   (a) आयरलैंड (b) ऑस्ट्रेलिया
   (c) अमेरिका (d) दक्षिण अफ्रीका
11. किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया है?
   (a) 90वाँ
   (b) 91वाँ
   (c) 92वाँ
   (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
12. निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद-19(1)(C) में 'सहकारी समितियाँ' शब्द जोड़ा गया?
   (a) 42वें संशोधन अधिनियम, 1976
   (b) 73वें संशोधन अधिनियम, 2011
   (c) 97वें संशोधन अधिनियम, 2011
   (d) 36वें संशोधन अधिनियम, 1975
13. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है?
   (a) पंचायत - भाग 9
   (b) नगरपालिकाएँ - भाग 9 क
   (c) सहकारी समितियाँ - भाग 9 ख
   (d) अधिकरण - भाग 10
14. भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिन्दी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिये अधिकृत किया गया?
   (a) 57वें संशोधन, 1987
   (b) 58वें संशोधन, 1987
   (c) 59वें संशोधन, 1988
   (d) 60वें संशोधन, 1982
15. भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था-
   (a) 26 जनवरी, 1950 को
   (b) 11 फरवरी, 1948 को
   (c) 26 नवंबर, 1949 को
   (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।
16. भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है-
   (a) राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को
   (b) राजनीतिक दल-बदल को
   (c) पंचायत व्यवस्था को
   (d) भाषाओं को

17. 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्त्वपूर्ण है?
    (a) यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है
    (b) इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली
    (c) इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है
    (d) इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुईं
18. भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन-सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्योरा देती है?
    (a) पहली (b) दूसरी
    (c) तीसरी (d) चौथी
19. भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं?
    (a) 15 (b) 13
    (c) 12 (d) 10
20. एक 'संघीय व्यवस्था' और केंद्र में 'द्वैध शासन' भारत में लागू किया गया था–
    (a) 1909 के अधिनियम द्वारा
    (b) 1919 के अधिनियम द्वारा
    (c) 1935 के अधिनियम द्वारा
    (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तरमाला

1. (a)	2. (a)	3. (c)	4. (d)	5. (c)	6. (d)	7. (a)	8. (b)	9. (a)	10. (b)
11. (b)	12. (c)	13. (d)	14. (b)	15. (c)	16. (a)	17. (a)	18. (a)	19. (a)	20. (b)

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. 93वाँ संविधान संशोधन अधिनियम। **3rd JPSC (Mains)**
2. भारतीय संविधान के स्रोत। टिप्पणी लिखिये। **3rd JPSC (Mains)**
3. भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिये। **3rd JPSC (Mains)**
4. भारत में प्रजातंत्र। टिप्पणी लिखिये। **1st JPSC (Mains)**
5. संक्षेप में भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ। **1st JPSC (Mains)**
6. भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास को स्पष्ट कीजिये।
7. संविधान सभा क्या थी? संविधान के निर्माण में सहायक कारकों की विवेचना कीजिये।
8. भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।
9. भारत की संविधान सभा जिन ऐतिहासिक दायित्वों का निर्वाह कर रही थी, उनकी पूर्ति करना अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण था। टिप्पणी कीजिये।
10. संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए 42वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट कीजिये।

अध्याय
2

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the Indian Constitution)

प्रस्तावना या **उद्देशिका** या **आमुख (Preamble)** किसी संविधान के दर्शन को सार-रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। सबसे पहले अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। इसके बाद जैसे-जैसे विभिन्न देशों ने अपने संविधान बनाए, उनमें से कई देशों ने प्रस्तावना को महत्त्वपूर्ण मानकर इसे संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान सभा ने भी प्रस्तावना को शामिल करने पर सहमति जताई। वस्तुतः यह प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को स्वीकार किये गए उसी **उद्देश्य प्रस्ताव (Objective resolution)** का विकसित रूप है, जिसे पं. नेहरू ने प्रस्तुत किया था और जिसमें निहित आदर्शों की मूल स्वीकृति के आधार पर ही संविधान के विभिन्न उपबंध बनाए गए थे। **उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना मिलकर भारतीय संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं।**

प्रस्तावना के संदर्भ में कई बिंदुओं पर विचार किया जाना अपेक्षित है, जैसे–

- प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है?
- प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं?
- क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद-368 के उपबंधों के तहत संशोधन किया जा सकता है?
- यदि भारतीय विधायिका या कार्यपालिका की नीतियाँ प्रस्तावना में उल्लिखित विचारों के अनुरूप न हों तो क्या प्रस्तावना में लिखित विचारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है?

2.1 प्रस्तावना की विषय-वस्तु *(Content of the Preamble)*

प्रस्तावना (उद्देशिका)	Preamble
हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय**, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**, प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिये, तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिये दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**	WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE: social, economic and political; LIBERTY: of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY: of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY: assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

अध्याय
3

संघ और उसका राज्यक्षेत्र (Union and it's Territory)

वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारतीय संविधान के भाग-1 (अनुच्छेद-1 से 4) में इस प्रावधान का उल्लेख किया गया है कि भारतीय राज्यक्षेत्र (Indian Territory) में किस-किस प्रकार की इकाइयाँ होंगी तथा उनके भारत संघ (Union of India) के साथ क्या संबंध होंगे? इस भाग को सही रूप में समझने के लिये हम सभी अनुच्छेदों पर क्रमशः विचार करेंगे।

3.1 संघ व उसके राज्यक्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद *(Articles Related to the Union and its Territory)*

संघ व उनके राज्यक्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित हैं–

अनुच्छेद-1 *(Article–1)*

- संविधान के अनुच्छेद-**1(1)** में कहा गया है कि भारत अर्थात् इंडिया राज्यों का संघ होगा (India, that is Bharat shall be a union of States)। इस अनुच्छेद से स्पष्ट है कि हमारे देश का औपचारिक नाम इंडिया है। इस अनुच्छेद में उल्लिखित यूनियन (Union) शब्द का प्रयोग करने के कारण को स्पष्ट करते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था–
  - भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है।
  - किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक् होने का अधिकार नहीं है।
- **अनुच्छेद-1(2)** में उल्लेख है कि राज्य और राज्यक्षेत्र वे होंगे, जो संविधान की **पहली अनुसूची** में विनिर्दिष्ट हैं।
- **अनुच्छेद-1(3)** के अनुसार भारत के राज्यक्षेत्र में–
  - राज्यों के राज्यक्षेत्र
  - पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र और
  - ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किये जाएँ, समाविष्ट होंगे।

प्रत्येक प्रभुत्व-संपन्न 'राष्ट्र' को नए राज्यक्षेत्रों के अर्जन का अधिकार होता है। ऐसे अर्जन हेतु विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि अर्जन अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अनुमोदित रीति से होता है, जैसे– युद्ध में जीतकर, संधि के अनुसरण में, अध्यर्पण द्वारा या स्वामीविहीन भूमि पर कब्ज़ा करके। अर्जन के पश्चात् वह राज्यक्षेत्र भारत का अंग हो जाता है और केंद्रशासित प्रदेश (संघ राज्यक्षेत्र) की तरह शासित होता है।

अनुच्छेद-2 *(Article–2)*

- **अनुच्छेद**-2 में उल्लेख है कि "संसद विधि द्वारा, ऐसे निर्बंधनों (Restrictions) और शर्तों (Conditions) पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी।" इसका एक अर्थ है कि संसद उस राज्य को, जो पहले से संस्थापित है, परंतु भारत का अंग नहीं है, भारत में शामिल कर सकेगी। इस अनुच्छेद के तहत संसद को दो शक्तियाँ प्राप्त हैं- (क) नये राज्य को भारत में शामिल करें, (ख) नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें।

अनुच्छेद-3 *(Article–3)*

नए राज्य के निर्माण, राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद-3 में किया गया है कि **संसद विधि द्वारा–**

- किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;
- किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;

अध्याय
4

नागरिकता (Citizenship)

नागरिकता का सामान्य अर्थ व्यक्ति और राज्य के अंतर्संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है, जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है, जिसे राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किये गए हों और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखता हो। नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र/राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा भाव तो हो ही, साथ में राज्य द्वारा व्यक्ति को सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्तव्य भी दिये जाएँ, जिनका प्रयोग वह स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ समाज कल्याण हेतु भी करे। अत: नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है।

4.1 नागरिकता से संबंधित संवैधानिक उपबंध *(Constitutional Provisions Related to Citizenship)*

- भारतीय संविधान के भाग–2 में अनुच्छेद-5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
- भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में अलग-अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है, संपूर्ण भारत के लिये एक ही प्रकार की व्यवस्था है। गौरतलब है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है- स्टेट व फेडरेशन की पृथक्-पृथक् नागरिकताएँ।

भाग-2 नागरिकता
अनुच्छेद 5 - संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।
अनुच्छेद-6 - पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
अनुच्छेद-7 - पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
अनुच्छेद-8 - भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
अनुच्छेद-9 - विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।
अनुच्छेद-10 - नागरिकों के अधिकारों का बना रहना।
अनुच्छेद-11 - संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

- संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है, अत: नागरिकता स्थायी उपबंध जैसी न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है, जो 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। (अनुच्छेद-11)
- संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 को लागू किया और आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन भी किये गए, जो मुख्यत: निम्न हैं-
  - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1986
  - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1992
  - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003
  - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005
  - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015
  - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर	
भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार	**विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार (भारतीय नागरिक को भी)**
अनुच्छेद-15, 16, 19, 29, 30: केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं।	**अनुच्छेद-14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28:** भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार हैं।

अध्याय
5

मूल अधिकार
(Fundamental Rights)

मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिये समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित करता है। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बनाए रखने के लिये ज़रूरी है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं। ये मूल इसलिये भी हैं कि ये व्यक्ति के चहुँमुखी विकास, मसलन- भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये आवश्यक हैं।

5.1 मूल अधिकार का अर्थ
(Meaning of Fundamental Rights)

मूल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिये आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं और जिनके बिना मुनष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिये मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है।

मूल अधिकारों की विशेषताएँ
(Characteristics of Fundamental Rights)

मूल अधिकारों की पूर्णत: निश्चित विशेषताएँ बताना संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों में उनकी प्रकृति भिन्न है। मोटे तौर पर, भारतीय राजव्यवस्था की दृष्टि से मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित मानी जा सकती हैं–

- मूल अधिकार देश की मौलिक विधि अर्थात् संविधान में उल्लिखित होते हैं। ये संविधान द्वारा रक्षित और प्रवृत्त होते हैं।
- आमतौर पर मूल अधिकार सिर्फ कार्यपालिका (Executive) की शक्ति को मर्यादित नहीं करते बल्कि विधानमंडल (Legislature) की शक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। यदि विधायिका इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई विधि (Law) बनाती है तो वह उस सीमा तक निष्प्रभावी या शून्य हो जाती है, जहाँ तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है।
- मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिये संविधान में संशोधन करना ज़रूरी होता है जबकि शेष कानूनी या विधिक (Legal or statutory) अधिकारों के मामले में आमतौर पर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। कानूनी अधिकार के मामले में संविधान संशोधन की ज़रूरत सिर्फ तब होती है जब वह संविधान के द्वारा दिया गया हो। अगर कानूनी अधिकार किसी अधिनियम के माध्यम से दिया गया है तो उसमें साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है, उसमें संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती है।

ध्यातव्य है कि सभी कानूनी अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं, उदाहरण के लिये, उपभोक्ता अधिकार (Consumer Rights) कानूनी अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। इसी प्रकार संपत्ति का अधिकार (Right to property), जो पहले मूल अधिकार था, वह अब कानूनी अधिकार है पर मूल अधिकार नहीं। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-301) भी कानूनी अधिकार का उदाहरण है।

मूल अधिकार नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी; उनका स्वरूप प्राकृतिक अधिकारों (Natural rights) की तरह भी हो सकता है और सामान्य कानूनी या विधिक अधिकारों (Legal rights) की तरह भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित देश की राजव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। जहाँ तक भारतीय संविधान व राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है, उसमें दिये गए मूल अधिकार इन सभी वर्गों में अलग-अलग मात्रा में समायोजित किये जा सकते हैं।

अध्याय
6

राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)

संविधान के **भाग-4** को **राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व** (डी.पी.एस.पी.) शीर्षक दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद-**36 से 51** तक के **अनुच्छेद** शामिल हैं। संविधान का यह भाग **आयरलैंड के संविधान** से लिया गया है। इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिये। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्त्व एवं अधिकारों को 'संविधान की मूल आत्मा' कहा है।

6.1 नीति-निदेशक तत्त्वों का इतिहास *(History of Directive Principles)*

भारतीय संविधान में नीति-निदेशक तत्त्वों का विकास मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों में इस बात पर सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिये ही जाने चाहिये, साथ ही राज्य द्वारा ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी की जानी चाहिये जो सामाजिक न्याय के लिये वांछनीय हैं। इन सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में दिया जाना तत्कालीन परिस्थितियों में संभव नहीं था। ऐसे अधिकार, जिन्हें तत्काल देना संभव नहीं था, **बी.एन. राव** की सलाह पर नीति-निदेशक तत्त्वों की श्रेणी में रख दिये गए ताकि जब सरकारें सक्षम हो जाएँ तब धीरे-धीरे इन उपबंधों को लागू करें। इन्हीं उपबंधों को संविधान के **भाग-4** में रखा गया तथा **राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व** नाम दिया गया।

6.2 राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों की विशेषताएँ *(Features of Directive Principles of State Policy)*

- राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व से स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावशाली बनाते समय राज्य इन तत्त्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निदेश कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिये सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग-4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग-3 में है।

  - डी.पी.एस.पी. पर गांधीवाद, समाजवाद तथा उदारवाद का प्रभाव है।
  - इसके द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है।
  - इसको लागू करने का दायित्व राज्य सरकार का है।
  - इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।

- यह भारत शासन अधिनियम, 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर के शब्दों में निदेशक तत्त्व अनुदेशों के समान हैं जो भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किये जाते थे, जिसे निदेशक तत्त्व कहा जाता है, वह इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है।
- निदेशक तत्त्वों की प्रकृति न्यायोचित नहीं है। इनका हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। अतः सरकार (केंद्र, राज्य एवं स्थानीय) इन्हें लागू करने के लिये बाध्य नहीं है।
- राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का उद्देश्य **लोक-कल्याणकारी राज्य** की स्थापना करना है।
- ये संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित हैं।
- ये वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक **पथ-प्रदर्शक** के रूप में रखा है।
- जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिये नीति-निदेशक तत्त्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्त्तव्य है।

अध्याय
7

मूल कर्त्तव्य (Fundamental Duties)

भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्त्तव्यों (मौलिक कर्त्तव्यों) को भी शामिल किया गया है। वस्तुत: अधिकार और कर्त्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं। अधिकारविहीन कर्त्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्त्तव्यविहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं।

यदि व्यक्ति को 'गरिमापूर्ण जीवन' का अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्त्तव्य बनता है कि वह अन्य व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का भी खयाल रखे। यदि व्यक्ति को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' प्यारी है तो यह भी ज़रूरी है कि उसमें दूसरों की 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के प्रति धैर्य और सहिष्णुता विद्यमान हो।

रोचक बात यह है कि विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के कर्त्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनमें केवल मूल अधिकारों की घोषणा की गई है, जैसे– अमेरिकी संविधान। कुछ साम्यवादी देशों में मूल कर्त्तव्यों की घोषणा करने की परंपरा दिखाई पड़ती है। भूतपूर्व सोवियत संघ का उदाहरण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्त्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से ही प्रभावित हैं।

7.1 भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों का इतिहास *(History of Fundamental Duties in Indian Constitution)*

भारतीय संविधान में भी प्रारंभ में मूल कर्त्तव्य शामिल नहीं थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई, तभी **सरदार स्वर्ण सिंह** के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिये एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्त्तव्यों का समावेश होना चाहिये। समिति का तर्क यह था कि भारत में अधिकांश लोग सिर्फ अधिकारों पर बल देते हैं, यह नहीं समझते कि हर अधिकार किसी-न-किसी कर्त्तव्य के सापेक्ष होता है।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा संविधान के भाग-4 के पश्चात् **भाग-4क** अंत:स्थापित किया गया और उसके भीतर **अनुच्छेद-51क** को रखते हुए 10 मूल कर्त्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में आठ (8) मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। आगे चलकर **86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002** के माध्यम से एक और मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया जिसके तहत 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षक पर यह कर्त्तव्य आरोपित किया गया है कि वे अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।

7.2 मूल कर्त्तव्यों की सूची *(List of Fundamental Duties)*

वर्तमान में संविधान के भाग-4क तथा अनुच्छेद-51क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कुल 11 मूल कर्त्तव्य निर्धारित किये गए हैं। इसके अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

(ख) स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सँजोए रखे और उनका पालन करे।

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।

अध्याय
8

संघीय कार्यपालिका (Union Executive)

भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की व्यवस्था की गई है जिसमें अनुच्छेद-74 एवं अनुच्छेद-75 केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है परंतु सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है। संवैधानिक रूप में संघीय कार्यपालिका अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है।

भारतीय संविधान के भाग-IV के अनुच्छेद-52-78 तक में संघ (केंद्र) की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी से मिलकर होता है।

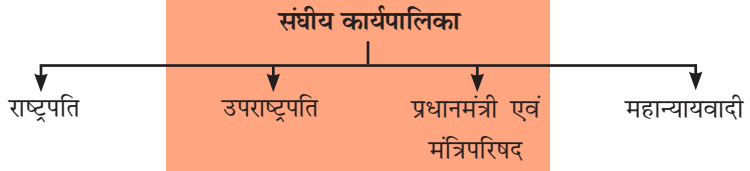

8.1 भारत का राष्ट्रपति *(The President of India)*

संविधान के अनुच्छेद-52 से 73 तक के समूह को 'राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति' शीर्षक दिया गया है, जिनमें अनुच्छेद-63 से 69 तक का हिस्सा उपराष्ट्रपति के संबंध में है जबकि शेष राष्ट्रपति के संबंध में। इसके अलावा, अनुच्छेद-74, 77, 78, 123, 361 आदि में भी राष्ट्रपति से जुड़े कुछ उपबंध हैं।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति *(Constitutional Status of the President)*

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति संविधान के अनुच्छेद-53, 74 तथा 75 से स्पष्ट होती है। अनुच्छेद-53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है जबकि अनुच्छेद-74 तथा 75 में राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद से संबंध बताया गया है। इन अनुच्छेदों का मूल पाठ इस प्रकार है–

अनुच्छेद-53(1)- "संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।"

अनुच्छेद-74(1)- "राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा।" (मूल संविधान के अनुसार)

अनुच्छेद-74(2)- "इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी?"

अनुच्छेद-75(1)- "प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।"

अनुच्छेद-75(2)- "मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यंत अपने पद धारण करेंगे।"

अनुच्छेद-75(3)- "मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।"

यदि मूल संविधान के इन उपबंधों पर गौर करें तो स्पष्ट होता है कि संविधान की भाषा राष्ट्रपति के वास्तविक शासक होने का संदेह पैदा करती है। अनुच्छेद-53 की शब्दावली तो ऐसी है ही, अनुच्छेद-74 भी इसकी संभावना पैदा करता है। क्योंकि, इसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। 'सलाह' शब्द से कोई सरलता से यह भाव निकाल सकता है कि इसे मानने की कोई बाध्यता नहीं है। पुनः, अनुच्छेद-74(2) में

अध्याय
9

संघीय विधायिका (Union Legislature)

भारतीय संविधान में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र में संसद में सामान्यत: तीन लक्षण होते हैं, प्रथम- यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, द्वितीय- इसमें उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होती है तथा तृतीय- मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

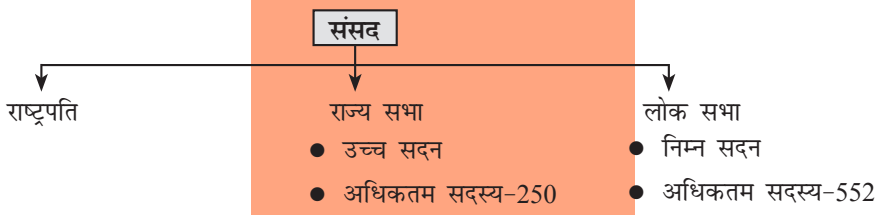

भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोक सभा एवं राज्य सभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है, क्योंकि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् ही विधि बना पाता है। संसद की संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों तथा शक्तियों का वर्णन संविधान के भाग-5 के अंतर्गत अनुच्छेद-79 से 122 में किया गया है। भारत की संसद के तीन प्रमुख अंग– राष्ट्रपति, राज्य सभा एवं लोक सभा हैं। राज्य सभा को उच्च सदन या दूसरा चैंबर या बड़ों की सभा कहते हैं तथा लोक सभा को निम्न सदन या पहला चैंबर या लोकप्रिय सदन कहा जाता है।

9.1 राज्य सभा *[Rajya Sabha (Council of States)]*

भारतीय संसद के दो सदन हैं, जो राज्य सभा (उच्च सदन) तथा लोक सभा (निम्न सदन) के नाम से जाने जाते हैं। राज्य सभा को अंग्रेज़ी में 'Council of States' कहा जाता है। इसकी संरचना प्राय: वैसी ही है, जैसी इंग्लैंड में 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' की है। थोड़ी–बहुत मात्रा में इसे अमेरिकी कॉन्ग्रेस के द्वितीय सदन 'सीनेट' के समकक्ष भी माना जा सकता है। कभी-कभी इंग्लैंड की राजव्यवस्था के अनुकरण पर इसे उच्च सदन (Upper House) कह दिया जाता है। हालाँकि संविधान में ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है।

राज्य सभा का गठन *(Composition of Rajya Sabha)*

संविधान के अनुच्छेद-80 में राज्य सभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिये गए हैं। इसके अनुसार राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। हालाँकि वर्तमान में यह 245 ही है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (Nominate) किये जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज-सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। शेष सदस्य, जो अधिकतम 238 हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में 233 हैं, निर्वाचित होते हैं।

राज्य सभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसके लिये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रचलित 'समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत' (Doctrine of equal representation) को नहीं अपनाया गया है बल्कि राज्य विशेष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। यह व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य की जनसंख्या के पहले 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य तथा उसके बाद प्रति 20 लाख व्यक्तियों पर राज्य सभा में एक सदस्य होगा। संविधान की चौथी अनुसूची में सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों (Union Territories) के लिये राज्य सभा में आवंटित किये गए स्थानों की सूची दी गई है। वर्तमान में यह सूची इस प्रकार है-

अध्याय
10

संघीय न्यायपालिका
(Union Judiciary)

भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान के विपरीत एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसके शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय एवं उसके उपरांत राज्य उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों में ज़िला न्यायालय एवं इससे नीचे स्तर के न्यायालय शामिल हैं। न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत ग्रहण की गई है।

भारत अमेरिका की तरह संघीय देश है परंतु न्यायिक व्यवस्था में भिन्नता है। अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, जिसमें केंद्र हेतु संघीय कानून है जो संघ-न्याय क्षेत्रों में लागू होता है तथा राज्यों हेतु राज्य कानून हैं जो राज्य न्याय क्षेत्रों में लागू होते हैं। जबकि भारत में एकल न्याय व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें केंद्र एंव राज्यों या राज्यों के बीच मामले आदि की अंतिम सुनवाई करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है।

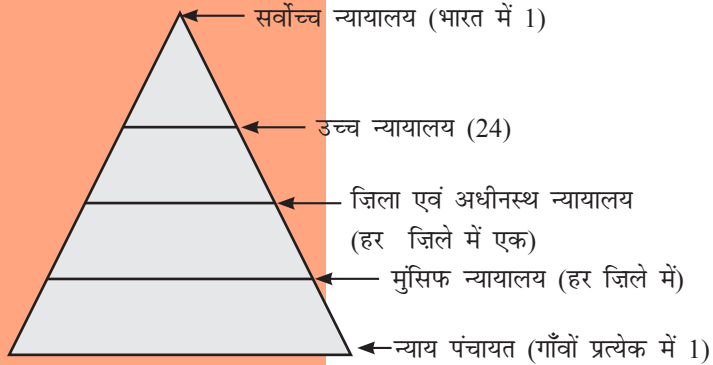

भारत की न्यायिक संरचना

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

- यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अन्य न्यायालयों में स्थानांतरण कर सकता है।
- इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं।
- यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है।
- यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

⇓

उच्च न्यायालय

- निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है।
- मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिये **रिट जारी** कर सकता है।
- राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है।
- अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियाँ निहित हैं।

⇓

ज़िला न्यायालय (अदालत)

- ज़िले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है।
- निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है।
- आपराधिक मामलों पर फैसला देता है।

⇓

अधीनस्थ न्यायालय (अदालत)

- फौजदारी (आपराधिक) मुकदमों पर विचार करती है।
- दीवानी (सिविल) मुकदमों पर विचार करती है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation